



कार्यालय पुलिस उपायुक्त, वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी।

प्रेस नोट

दिनांक- 29.11.2023

“आपरेशन कन्विकशन” के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दुष्कर्म के मामले में 02 अभियुक्तों को 7-7 वर्ष के कठोर कारावास व 5-5 हजार रु0 अर्थदण्ड की सजा

थाना कैण्ट, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु0अ0सं0-391/2016 धारा 376/323/498ए भा0द0वि0 व ¾ डीपी एक्ट, मु.नं.-377/2017 से सम्बन्धित अभियुक्त 1-शिव प्रसाद गुप्ता उर्फ मुन्ना गुप्ता पुत्र महादेव गुप्ता निवासी राजापुर थाना करीमुद्दीनपुर जनपद गाजीपुर को प्रभारी निरीक्षक कैण्ट व मानिट्रिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय ASJ/FTC-1 जनपद वाराणसी द्वारा अन्तर्गत धारा 376 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुए 07 वर्ष के कठोर कारावास व 5000/- रु. अर्थदण्ड से तथा अभियुक्त 2-अशोक गुप्ता पुत्र छबीला गुप्ता निवासी जहूराबाद जनपद गाजीपुर को अन्तर्गत धारा 376/34 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुए 07 वर्ष के कठोर कारावास व 5000/- रु. अर्थदण्ड से दंडित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 3-3 माह अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी